रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072020-220631
CG-DL-E-22072020-220631

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263] **नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2020/आषाढ़ 31, 1942**
No. 263] **NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2020/ASADHA 31, 1942**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई,2020

फा. सं. पीएनजीआरबी/तकनीकी/2-टी4एसएनजीपीएल/(1)/2019.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2009 में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः –

1. लघु शीर्षक और प्रारंभण

   1. इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम विनियम, 2020 कहा जाएगा।

   2. ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2009 में, -

   (i) विनियम 7 में, उप विनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम सम्मिलित किया जाएगा अर्थात्:-

"(1क) संबंधित कंपनी का बोर्ड इन विनियमों के प्रभावी होने के नब्बे दिनों के अंदर अपने एक निदेशक को नियुक्त करेगा जो इन विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।";

(ii) अनुसूची 1 क में, "सामग्री विशिष्टियां" शीर्षक के अंतर्गत "लाइन पाइप विशिष्टि एपीएल 5एल के अनुसार" से आरंभ होने वाले शब्दों के लिए और "स्टील पाइप" उप-शीर्षक के अंतर्गत "(पीएसएल 2 के अनुरूप है" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः :

"लाइन पाइप विशिष्टि एपीआई 5एल के अनुसार, सीमलेस, हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डेड (एचएफडब्ल्यू) होगा जिसमें उत्पाद विनिर्देश स्तर-2 (पीएसएल 2) की पुष्टि करने वाले इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डेड पाइप या अनुलंब या हेलिकल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड एसएडब्ल्यूएल/ एसए डब्ल्यूएच) होते हैं।"

(iii) अनुसूची 1 घ में,

1. "स्टील पाइप" शीर्षक के अंतर्गत "टिप्पणियाँ" और उसके उप शीर्षक के पश्चात निम्नलिखित उप शीर्षक और सामग्री को सम्मिलित किया जाएगा अर्थात :-

"श्रेणी 1 और 2 स्थलों में प्राकृतिक गैस की ढुलाई:

1. पीई पाइपों को सीमांत/पृथक क्षेत्रों, सीबीएम और अन्य समान स्रोतों से उत्पादित अविशिष्ट प्राकृतिक गैस के परिवाहन के लिए बिछाया जा सकता है, बशर्ते यदि यह निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

अ. पीई पाइपलाइन को पीएनजीआरबी (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008 के सभी प्रावधानों का अनुपालन करके बिछाया जाएगा। इन प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ गंधीकरण, मार्ग चिह्नक, चेतावनी चटाई आदि सम्मिलित हैं।

आ. पाइपलाइन नेटवर्क के लिए कंपनी द्वारा मात्रात्मक जोखिम विश्लेषण किया जाएगा और जोखिम को कम करने के लिए जोखिम शमन के उपाय किए जाएंगे;

इ. स्टील पाइपलाइनों के लिए 1.5 मीटर का कवर या इन विनियमों में निर्दिष्ट कवर, जो भी अधिक हो, बनाए रखा जाएगा।

ई. पीई पाइपलाइन नेटवर्क में दाब 7 कि.ग्रा./ वर्ग सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा।

उ. सामग्री आईएस 14885 या आईएसओ 4437 या एएसटीएम डी2513-14ईएल स्तर की होगी। जुड़नार आईएसओ 8085 भाग 3 के अनुरूप होंगी।

ऊ. श्रेणी 1 और 2 स्थानों में गैस के परिवाहन के लिए पीई पाइपलाइनों के उपयोग के प्रस्ताव को संबंधित जोखिम पर पूर्ण खुलासे के साथ कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।";

2. "पाइपलाइन प्रणाली और घटक" शीर्षक के अंतर्गत" :-

(अ) "सारणी-2" के पश्चात निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात :-

"टिप्पण -

ब्लॉक अथवा अनुभागीय वाल्व पाइपलाइन के साथ प्रमुख स्थान श्रेणी के आधार पर "तालिका-2" में उल्लिखित अंतराल दूरी पर लगातार सुलभ स्थानों पर प्रदान किए जाएंगे। वाल्व रिगिंग समायोजन वाल्व को अधिक सुलभ स्थान पर स्थापित करने की अनुमति देने के लिए सारणी-2 में विनिर्दिष्ट दूरी से 10% से

अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें सुगमता से निरंतर उपलब्धता पहली प्राथमिकता होती है। तथापि वाल्वों की कुल संख्या डिज़ाइन की आवश्यकता के अनुसार समान रहेगी।"

(आ) "अन्य आवश्यकताएं" उप शीर्षक के अंतर्गत "आग और गैस डिटेक्टर स्थापित किए जाएंगे ….." से आरंभ होने वाले शब्दों के लिए और "....आग लगने की घटना" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"आग और गैस संसूचक या बहु-संवेदक संसूचक कंप्रेसर यूनिटों या कंप्रेसर्स स्किड्स में आग लगने की स्थिति में इकाई के बंद होने, डिब्बे को अलग करने और इकाई के अंदर क्लीन एजेंट/सीओ$_2$ जारी करने के लिए लगाए जाएंगे।";

(iv) अनुसूची-1ड़ में, -

1. "गैस ट्रांसमिशन और वितरण सुविधाओं की सुरक्षा को प्रभावित करने वाला प्रचालन और रखरखाव" शीर्षक के अंतर्गत "आपातकाल योजना की अनिवार्य विशेषताएं" उप शीर्षक के अंतर्गत "कंपनी एक आपातकाल प्रतिक्रिया योजना" से आरंभ होने वाले शब्दों और "स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगी।" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, नामतः:-

"पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ERDMP) के लिए आचरण संहिता) विनियम, 2010 के अनुसार एक व्यापक आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना विकसित की जाएगी। योजना को भलीभांति संचालित करने के लिए प्रत्येक नियंत्रण कक्ष में निम्न प्रकार के आवश्यक मानचित्रों व अभिलेखों सहित पाइपलाइन और विशिष्ट स्टेशन के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना की प्रतियां रखी जाएंगी, नामतः :-

i. आवश्यक परिचालन डाटा

ii. पाइपलाइन पहरेदारी अभिलेख

iii. संक्षारण निगरानी या सर्वेक्षण अभिलेख

iv. रिसाव या निकासी अभिलेख

v. नेमी या अपारंपरिक निरीक्षण अभिलेख

vi. पाइपलाइन मरम्मत अभिलेख

2. "सुरक्षा और अग्नि से बचाव' शीर्षक के अंतर्गत:-

क. अनुच्छेद शीर्षक "अग्नि और गैस पहचान प्रणाली" के अंतर्गत :

अ) "कंप्रेसर स्टेशन" उप शीर्षक के अंतर्गत आईआर/धुएं का पता ...." से आरंभ होने वाले शब्दों के पश्चात और " .... घोषणा करने का प्रावधान हो" से समाप्त होने वाले शब्द निम्नलिखित से प्रतिस्थापित होंगे, नामतः :-

"नियंत्रण कक्ष, एमसीसी, प्रसाधन कक्ष और कंप्रेसर अहाते में संकेत, अलार्म और घोषणा के प्रावधान सहितआईआर/धूम्र संसूचक या बहु संवेदक संसूचक प्रदान किए जाएंगे।"

आ) "अन्य गैस स्थापनाएँ" शीर्षक वाले अनुच्छेद के अंतर्गत "आईआर/धुएं का पता ...." से आरंभ होने वाले शब्दों के पश्चात और "....घोषणा करने का प्रावधान हो" से समाप्त होने वाले शब्द निम्नलिखित से प्रतिस्थापित होंगे, नामतः:-

"नियंत्रण कक्ष, एमसीसी, प्रसाधन कक्ष और कंप्रेसर अहाते में संकेत, अलार्म और घोषणा के प्रावधान सहित आईआर/धूम्र संसूचक या बहु संवेदक संसूचक प्रदान किए जाएंगे।"

ख. "अग्निशामक उपकरण" उप शीर्षक के अंतर्गत

(I) "कंप्रेसर क्षेत्र" शब्दों से आरंभ होने वाले शीर्षक वाले अनुच्छेद और "गैस प्राप्ति/सुपुर्दगी टर्मिनल" उप-शीर्षक में "एक (1) संख्या 2 कि.ग्रा. सीओ$_2$ आधारित" शब्दों से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, नामतः :-

(क) कंप्रेसर क्षेत्र

9 कि.ग्रा. शुष्क रासायनिक पाउडर (डीसीपी) आधारित एक (1) संख्या प्रति दो कंप्रेसर 6.5 कि.ग्रा. सीओ$_2$ आधारित एक (1) संख्या और मोबाइल 75 कि.ग्रा. डीसीपी आधारित एक (1) संख्या।

(ख) पिगिंग क्षेत्र, मीटरिंग क्षेत्र और गैस फिल्ट्रेशन क्षेत्र प्रत्येक स्थल पर 9 कि.ग्रा. डीसीपी आधारित एक (1) संख्या

(ग) वायु कंप्रेसर

2 कि.ग्रा. सीओ$_2$ एक (1) संख्या और 5 कि.ग्रा.डीसीपी आधारित एक संख्या।

(घ) कार्यालय/कैंटीन/स्टोर

प्रत्येक भवन में 9 कि.ग्रा. डीसीपी आधारित दो (2) संख्या।

(ङ.) एमसीसी/डीजी कक्ष/एचटी कक्ष

प्रत्येक कक्ष में दो 4.5 कि.ग्रा. सीओ$_2$ या प्रति 100 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्र में।

डीजी कक्ष के निकट बालू की चार बाल्टियां स्टैंड सहित उपलब्ध कराई जानी चाहिएं।

प्राथमिक उपचार अग्नि सुरक्षा सहायक सामग्री की ट्राली भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

मध्यवर्ती पिपिंग स्टेशन:

75 कि.ग्रा. एक (1) संख्या और 9 कि.ग्रा. डीसीपी आधारित एक (1) संख्या तथा 2 कि.ग्रा. सीओ$_2$ आधारित एक (1) संख्या।

सीओ$_2$ कार्ट्रीजेज़ के लिए 100% अतिरिक्त पुर्जे तथा डीसीपी कार्ट्रीजेज़ के लिए 50% अतिरिक्त पुर्जे जमा करके रखे जाने चाहिएं।

खंडवार वाल्व स्टेशन

9 कि.ग्रा. डीसीपी एक (1) संख्या और 2 कि.ग्रा. सीओ$_2$ आधारित एक (1) संख्या।

सीओ$_2$ कार्ट्रीजेज़ के लिए 100% अतिरिक्त पुर्जे तथा डीसीपी कार्ट्रीजेज़ के लिए 50% अतिरिक्त पुर्जे जमा करके रखे जाने चाहिएं।

गैस प्राप्ति/सुपुर्दगी टर्मिनल:

75 कि.ग्रा. एक (1) संख्या और 9 कि.ग्रा. डीसीपी आधारित एक (1) तथा 2 कि.ग्रा. सीओ$_2$ आधारित एक (1) संख्य।;

(II) "गैस प्राप्ति/सुपुर्दगी टर्मिनल" शीर्षक वाले अनुच्छेद के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों को हटाया जाएगा, नामतः :-

"कंप्रेसर स्टेशनों में अग्नि जल नेटवर्क सहित अग्निशामक प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी";

ग. "निम्नलिखित पर भी विचार किया जाए" उप शीर्षक के अंतर्गत

क. अग्नि जल प्रणाली" शीर्षक वाले अनुच्छेद के अंतर्गत "अग्नि जल प्रणाली ...." से आरंभ होने वाले शब्दों के पश्चात और ".... के साथ" से समाप्त होने वाला निम्नलिखित से प्रतिस्थापित होगा, नामतः :-

"कंप्रेसर स्टेशनों में अग्नि जल नेटवर्क सहित अग्निशामक प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी और उसमें का समावेश होगा";

ख. "डिज़ाइन प्रवाह दर" शीर्षक वाले अनुच्छेद के अंतर्गत

(I) "कंप्रेसर क्षेत्र, कूलर क्षेत्र ...." से आरंभ होने वाले शब्दों के पश्चात और ".... उपलब्ध कराई जानी चाहिए" से समाप्त होने वाला निम्नलिखित से प्रतिस्थापित होगा,नामतः :-

"अग्नि जल पंपिंग की गणना दो (2) अग्नि जल मानिटरों के माध्यम से दी गई छिड़काव दर या प्रवाह के उच्चतम के आधार पर (अर्थात 288 घन मीटर /घंटा) इनमें से जो भी अधिक हो, की जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों के लिए छिड़काव दर निम्न प्रकार होगी:

(क) कंप्रेसर क्षेत्र: 20.4 एलपीएम/ वर्ग मीटर का क्षेत्र;

(ख) स्क्रैपर क्षेत्र/मीटरिंग क्षेत्र/फिल्टरक्षेत्र:

10.2 एलपीएम/ वर्ग मीटर का क्षेत्र; और

(ग) अन्य क्षेत्र: 3 एलपीएम/ वर्ग मीटर का क्षेत्र"

यदि उपरोक्त सुविधाओं में से कोई भी 30 मीटर के अंदर है तो उसी को अग्नि जल की आवश्यकता की गणना के लिए एकल जोखिम क्षेत्र या क्षेत्र माना जाएगा";

(II) "कंप्रेसर क्षेत्र, कूलर क्षेत्र ...." से आरंभ होने वाले शब्दों के पश्चात और ".... उपलब्ध कराई जानी चाहिए" से समाप्त होने वाला निम्नलिखित से प्रतिस्थापित होगा, नामतः :-

"कंप्रेसर क्षेत्र के कूलर क्षेत्र, पिगिंग क्षेत्र, फिल्ट्रेशन क्षेत्र, मीटरिंग क्षेत्र, संघनन एकत्रण क्षेत्र आदि के पश्चात गैस को माध्यम वेग जल छिड़काव प्रणाली के साथ कवर किया जाएगा।"

(v) अनुबंध II में "मीटरिंग (मापन) उपकरण" शीर्षक के अंतर्गत "एजीए रिपोर्ट नं. 9 ...." से आरंभ होने वाले शब्दों के पश्चात और ".... अल्ट्रासानिक मीटरों" से समाप्त होने वाले निम्नलिखित से प्रतिस्थापित होंगे, नामतः :-

"एजीए रिपोर्ट नं. 9 मल्टी-पथ अल्ट्रासोनिक मीटरों द्वारा गैस का मापन और ओआईएम एल आर 137 भाग 1 और 2, भाग 1: वायुमंडलीय और तकनीकी आवश्यकताएं भाग 2: वायुमंडलीय नियंत्रण और प्रदर्शन परीक्षण"।

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./122/2020-21]

पाद टिप्पणी: मुख्य विनियम शासकीय अधिसूचना सा.का.नि. 808 (अ),दिनांक 11/11/09/2009 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और फा.सं.आरईजी/टी4एस/एनजीपीएल/1/2012, दिनांक 03/09/2012,फा.सं.आरईजी/टी4एस/एनजीपीएल/1/2012,दिनांक14/03/2014,फा.सं.एल-मिस./VI/आई/2007,दिनांक01/01/2015 और फा.सं. इंफ्रा/पीएनजीआरबी/टी4एस/एनजीपीएल/आई/2015,दिनांक 05/01/2018 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2020

F.No.PNGRB/Tech/2-T4SNGPL/(1)/2019.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Regulations, 2009, namely: -

1. Short Title and Commencement:

    1. These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2020.

    2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Regulations, 2009, -

(i) in regulation 7, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(1A) The Board of the concerned entity, within ninety days of the commencement of these regulations shall appoint one of its directors, who shall be responsible for ensuring compliance to these regulations.";

(ii) in Schedule 1A, under heading "MATERIAL SPECIFICATIONS", for the words beginning with, "as per Line Pipe Specification" and ending with the words "conforming to (PSL 2)." under sub-heading "Steel Pipe", the following shall be substituted, namely:

"as per Line Pipe Specification API 5L, shall be Seamless, High Frequency Welded (HFW) including Electric Resistance Welded pipes or Longitudinal or Helical Submerged Arc Welded (SAWL/SAWH) conforming to Product Specification Level-2 (PSL 2).";

(iii) in Schedule1D,

1. under heading "STEEL PIPE", after sub-heading "Notes" and contents thereof, the following sub-heading and contents thereof shall be inserted, namely: -

"Transportation of Natural Gas in Class 1 and 2 locations:

1. PE pipes can be laid to transport natural gas off spec gas produced from marginal or isolated fields, CBM and like other sources if it meets the following requirements, namely: -

(a) PE pipeline shall be laid complying with all the provisions of the PNGRB (Technical standards and specifications including safety standards for City or local gas distribution network) Regulations, 2008. These provisions inter alia include odourisation, route markers, warning mat and the likes;

(b) Quantitative risk analysis shall be carried out by the entity for the pipeline network and risk mitigation measures shall be taken accordingly to minimize the risk;

(c) The cover of 1.5 meter or the cover as specified in these Regulations for steel pipelines, whichever is higher, shall be maintained;

(d) The pressure shall not exceed 7 Kg/cm^2 in the PE Pipeline Network;

(e) The material shall confirm to IS 14885 or ISO 4437 or ASTM D2513-14e1 and the fittings shall as per ISO 8085 Part 3; and

(f) The proposal for using PE pipelines for transportation of gas in Class 1 and 2 locations shall be approved by Board of the entity with complete disclosures on associated risk.";

2. Under heading, "PIPELINE SYSTEM AND COMPONENT":-

(a) after "Table-2" the following shall be inserted, namely: -

"Note -

Block or Sectionalizing valves shall be provided at continuously accessible locations at interval distances mentioned in "Table-2", based on predominant location class along the pipeline. Valve spacing adjustments should not exceed 10% of the applicable distance as specified in "Table-2", so to permit a valve to be installed in a more accessible location, with continuous accessibility being the primary consideration. However, the total number of valves as per the design requirement shall remain the same.";

(b) Under sub-heading "Other requirements", for the words beginning with, "Fire and gas detectors shall be installed" and ending with the words, "the event of occurrence of fire.", the following shall be substituted, namely: -

"Fire and gas detectors or multi-sensor detectors shall be installed in the compressor buildings or compressors skids to initiate shut down of the unit, isolation of the compartment and release of clean agent or CO_2 inside the unit in the event of occurrence of fire.";

(iv) in Schedule-1E, -

1. Under the heading, "OPERATING AND MAINTENANCE PROCEDURE AFFECTING THE SAFETY OF GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION FACILITIES", after the words beginning with, "The entity shall put" and ending with the words, "case of an incident.", under the sub-heading "Essential Features of the Emergency Plan", the following shall be inserted, namely: -

"A comprehensive ERDMP shall be developed in accordance to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Codes of Practices for Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP)) Regulations, 2010. The copies of the ERDMP for the pipeline and the station specific shall be maintained at each control room along with necessary maps and records to properly administer the plan, such as the following, namely: -

(i) Necessary operational data;

(ii) Pipeline patrolling records;

(iii) Corrosion monitoring or survey records;

(iv) Leak or tapping records;

(v) Routine or unusual inspection records;

(vi) Pipeline repair records";

2. Under heading, "SAFETY AND FIRE PROTECTION": -

A. under sub-heading, "Fire and Gas Detection System":

(a) under paragraph heading "Compressor stations", for the words beginning with, "IR / Smoke detectors shall" and ending with the words, "alarm and annunciation.", the following shall be substituted, namely: -

"IR / Smoke detectors or Multi-sensor detectors shall be provided in control room, MCC, utility room and compressor enclosure with provision of indication, alarm and annunciation.";

(b) under paragraph heading, "Other Gas Installations;", for the words beginning with, "IR / Smoke detectors shall" and ending with the words, "alarm and annunciation.", the following shall be substituted, namely: -

"IR / Smoke detectors or Multi-sensor detectors shall be provided in control room, MCC, utility room and compressor enclosure with provision of indication, alarm and annunciation.";

B. under the sub-heading, "Fire Fighting Equipment":

(I) for the words beginning with paragraph heading, "Compressor Stations", and ending with the words, "one (1) number 2 Kg, CO_2 based.", under the paragraph heading "Gas receipt / delivery terminals", the following shall be substituted, namely:

(a) Compressor area

One (1) number 9 kg Dry Chemical Powder (DCP) based

One (1) number 6.5 kg CO_2 based per two compressors and

One (1) number mobile 75 kg DCP based.

(b) Pigging Area, Metering Area and Gas Filtration Area

One (1) number 9 kg DCP based at each location

(c) Air compressors

One (1) number 2 kg CO_2 and one number 5 kg DCP based.

(d) Office/ Canteen/ Stores

Two (2) number 9 kg DCP based in each building.

(e) MCC/DG Room/HT room

Two (2) number 4.5 kg CO_2 based in each room or per 100 m^2 floor area.

4 sand buckets with stand shall be provided near to DG room.

A trolley containing first aid fire protective accessories shall also be provided.

Intermediate pigging station:

One (1) number 75 kg and one (1) 9 Kg DCP based and one (1) number 2 kg CO_2 based.

100% spares for CO_2 cartridges and 50% spares for DCP cartridges shall be stored.

Sectionalizing Valve stations:

One (1) number 9 kg DCP based and one (1) number 2 kg CO_2 based.

100% spares for CO_2 cartridges and 50% spares for DCP cartridges shall be stored.

Gas receipt / delivery terminals:

One (1) number 75 kg and one (1) 9 kg DCP based and one (1) number 2 kg CO_2 based.;

(II) under paragraph heading "Gas receipt /delivery terminals;", the following words shall be omitted, namely: -

"Firefighting system with fire water network shall be provided at gas compressor stations";

C. under sub headings, "The following shall also be considered:",

(a) under paragraph heading "Fire Water System;", for the words beginning with "The Fire water system" and ending with the words, "consisting of", the following shall be substituted, namely:

"The Firefighting system with fire water network shall be provided at gas compressor stations and shall consist of:";

(b) under the paragraph heading, "Design Flow Rate": -

i. for the words beginning, "The fire water pumping", and ending with the words, "3 Lpm/m^2 of area", the following shall be substituted, namely:

"The fire water pumping requirement shall be calculated based on the highest of the spray rate given or flow through two (2) nos. of fire

water monitors (i.e. 288 m^3/hr) whichever is higher. Spray rate for various areas shall be as follows:

(a) Compressor area: 20.4 Lpm/ m^2 of area;

(b) Scraper area / Metering area / filter area: 10.2 Lpm/ m^2 of area; and

(c) Other area: 3 Lpm/m^2 of area"

In case the any of the above facilities is within 30 meter, same shall be considered as single risk area or zone for calculation of the fire water requirement.";

ii. for the words beginning with, "Compressor area, gas after cooler area," and ending with the words, "monitors and hydrants.", the following shall be substituted, namely: -

"Gas after cooler area, pigging area, filtration area, metering area, condensate collection area and similar other areas of the Compressor station shall be covered with medium velocity water spray system.";

(v) in Annexure II, under the heading "Metering Equipment", for the words beginning with, "AGA Report No. 9" and ending with the words, "Ultrasonic Meters.", the following shall be substituted, namely: -

"AGA Report No. 9 Measurement of Gas by Multi-path Ultrasonic Meters and OIML R 137 Parts 1 and 2, Part1: Metrological and technical requirements, Part2: Metrological controls and performance tests".

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./122/2020-21]

Foot Note: The Principal regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 808(E), dated the 11th November,2009,and amended vide F.No.REG/T4S/NGPL/1/2012, dated 03.09.2012, F.No. REG/T4S/NGPL/1/2012, dated 14.03.2014, F.No. L-MISC/VI/I/2007, dated 01.01.2015and F. No. INFRA/PNGRB/T4S/NGPL/I/2015, dated 05.01.2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.22 20:49:40 +05'30'